भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *205

03.08.2026 को उत्तर के लिए

कार्बन सिंक लक्ष्यों का आकलन

***205. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी :**

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विशिष्ट व्यय, वनीकरण, पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार और भू आधारित संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत भूमि के कुल क्षेत्रफल और इनके उल्लेखनीय परिणामों सहित बढ़ाए गए वन आवरण के माध्यम से 2.5–3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कार्बन सिंक के सृजन के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर मध्य प्रदेश, रतलाम, भरतपुर और देवास-शाजापुर के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई वन पुनरूद्धार, जलवायु अनुकूल या जैव विविधता संरक्षण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं अथवा प्रस्तावित हैं;

(ग) कंधमाल, बौध, भंजानगर और नयागढ़ में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) के अंतर्गत क्या पारिस्थितिकीय परिणाम प्राप्त हुए हैं और कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में वन पुनरुद्धार और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यकलापों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए कोई प्रौद्योगिकी-समर्थित निगरानी प्रणाली विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली सहित देश में वन संरक्षण और जलवायु अनुकूल पहलों में विशेष रूप से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी), ग्राम सभाओं और स्थानीय निकायों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इन जिलों में स्थानीय रूप से आजीविका के साधनों को बढ़ाने के लिए गैर-इमारती वन उत्पाद (एनटीएफपी) संग्रहण को बढ़ावा देने और ईएनएएम के साथ बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और इन जिलों/क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से चलाई जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'कार्बन सिंक लक्ष्यों का आकलन' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए श्री महेंद्र सिंह सोलंकी और श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *205 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (च): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, देश के वन संसाधनों, जिनमें वन कार्बन भंडार भी शामिल है, का प्रत्येक दो वर्ष में आकलन करता है तथा इसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित करता है। यह आकलन सुदूरसंवेदी प्रौद्योगिकी पर आधारित समग्र क्षेत्र मानचित्रण प्रक्रिया है, जो गहन स्थलीय सत्यापन तथा राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्रीय आँकड़ों द्वारा समर्थित है। वर्ष 2022 के लिए जीएचजी सूची, जिसकी सूचना भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कन्वेन्शन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत प्रथम द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट में दी गई है, के अनुसार वनों द्वारा शुद्ध कार्बन अवशोषण तथा कार्बन पृथक्करण 0.149 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य रहा। इस प्रकार, भारत ने वर्ष 2030 तक वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन पृथक्करण के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2022 तक 2.44 अरब टन कार्बन पृथक्करण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

वन पुनरुद्धार, जलवायु सहनशीलता तथा जैव विविधता संरक्षण गतिविधियाँ विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके अलावा, सरकार वन एवं वृक्ष आवरण के संरक्षण, संवर्धन तथा पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण(काम्पा), तटीय पर्यावासों एवं मूर्त आय हेतु मैंग्रोव पहल (मिष्टी), नगर वन योजना तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से संचालित अन्य वनीकरण एवं पारिस्थितिकी पुनरुद्धार कार्यक्रम शामिल हैं। वनीकरण योजनाओं, अर्थात् राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण(काम्पा), तटीय पर्यावासों एवं मूर्त आय हेतु मैंग्रोव पहल (मिष्टी) तथा नगर वन योजना के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक-I, II, III तथा IV** में दिया गया है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आँकड़े, जिनमें रतलाम, भरतपुर तथा देवास-शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, अलग से नहीं रखे जाते हैं।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) एक नमोन्मेषी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अभियान(लाइफ) को बढ़ावा देना है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 में वृक्षारोपण, जल प्रबंधन, संधारणीय कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण एवं पुनरुद्धार, ईको मार्क लेबल विकास तथा संधारणीय भवन एवं अवसंरचना जैसी गतिविधियों का प्रावधान है, जिनके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रशासक नियुक्त किया गया है।

आईसीएफआरई ने सूचित किया है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत कंधमाल जिले के बल्लीगुड़ा वन प्रभाग में 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एक पारिस्थितिकी पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है। राज्य वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इस परियोजना पर अब तक 24,75,736 रुपये की राशि

का व्यय किया जा चुका है। बौध, भंजनगर तथा नयागढ़ में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी पारिस्थितिक पुनरुद्धार परियोजना शुरू नहीं की गई है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत पंजीकृत भूमि खंडों पर वृक्षारोपण तथा अवक्रमित वन भूमि के पारिस्थितिकी पुनरुद्धार का प्रावधान है। अब तक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत प्राप्त पारिस्थितिकी अथवा पर्यावरणीय परिणामों का कोई समग्र मूल्यांकन नहीं किया गया है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत एक डिजिटल निगरानी एवं सत्यापन रूपरेखा विकसित की गई है। इस रूपरेखा के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर किए जाने वाले सत्यापन समर्थित वृक्षारोपण तथा पारिस्थितिकी पुनरुद्धार गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी का प्रावधान है। इसके अलावा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत पुनरुद्धार गतिविधियों की निगरानी एवं रिपोर्ट संबंधी एक पुस्तिका तैयार की है, ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन की एकरूप, पारदर्शी तथा वैज्ञानिक तरीके से निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में जनजातीय समुदायों तथा अन्य वन-आश्रित समुदायों की वन संसाधनों पर निर्भरता की पहचान की गई है तथा वन क्षेत्रों में तथा उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए वनों के संरक्षण, पुनर्जनन एवं विकास में उनकी भागीदारी पर जोर दिया जाता है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभाएँ सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में ग्राम स्तर पर सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों तथा ग्राम पारिस्थितिकी विकास समितियों का गठन किया गया है, ताकि वन संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके जिसमें वन-आश्रित समुदायों एवं जनजातीय लोगों की आजीविका से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रचलित नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार लकड़ी से इतर वन- उपज के संग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है। लकड़ी से इतर वन-उपज का सामान्यतः राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच (ई-एनएएम) के माध्यम से व्यापार नहीं किया जाता, क्योंकि यह मंच मुख्यतः अधिसूचित कृषि वस्तुओं के व्यापार के लिए निर्धारित है।

अनुलग्नक-I

'कार्बन सिंक लक्ष्यों का आकलन' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए श्री महेंद्र सिंह सोलंकी और श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *205 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) के दौरान राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई निधियों का विवरण।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**कुल (पिछले 5 वर्षों के दौरान)**
1	आंध्र प्रदेश	2.02
2	अरुणाचल प्रदेश	34.71
3	छत्तीसगढ	8.95
4	हरियाणा	64.49
5	हिमाचल प्रदेश	0.07
6	जम्मू एवं कश्मीर	10.99
7	कर्नाटक	15.58
8	केरल	8.49
9	मध्य प्रदेश	74.04
10	महाराष्ट्र	0.00
11	मणिपुर	27.35
12	मिजोरम	96.16
13	ओडिशा	38.81
14	पंजाब	11.44
15	सिक्किम	40.69
16	उत्तराखंड	119.49
17	पश्चिम बंगाल	1.52
18	उत्तर प्रदेश	8.73
कुल		**563.52**

अनुलग्नक-II

'कार्बन सिंक लक्ष्यों का आकलन' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए श्री महेंद्र सिंह सोलंकी और श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *205 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण हेतु राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल (पिछले 5 वर्षों के दौरान)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.43
2	अरुणाचल प्रदेश	104.32
3	आंध्र प्रदेश	90.09
4	असम	10.15
5	बिहार	51.02
6	चंडीगढ़	0.43
7	छत्तीसगढ	154.78
8	दिल्ली	43.21
9	गोवा	30.69
10	गुजरात	144.24
11	हरियाणा	188.47
12	हिमाचल प्रदेश	46.54
13	जम्मू एवं कश्मीर	28.54
14	झारखंड	181.67
15	कर्नाटक	78.96
16	केरल	9.13
17	मध्य प्रदेश	358.30
18	महाराष्ट्र	88.49
19	मणिपुर	3.60
20	मेघालय	11.04
21	मिजोरम	7.86
22	लद्दाख	0.00
23	ओडिशा	215.90
24	पंजाब	156.92
25	राजस्थान	66.93
26	सिक्किम	40.90
27	तमिलनाडु	21.85
28	तेलंगाना	104.73
29	त्रिपुरा	25.34
30	उत्तर प्रदेश	69.13
31	उत्तराखंड	45.06
32	पश्चिम बंगाल	18.14
कुल		**2,406.86**

अनुलग्नक-III

'कार्बन सिंक लक्ष्यों का आकलन' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए श्री महेंद्र सिंह सोलंकी और श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *205 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के माध्यम से तटीय पर्यावासों एवं मूर्त आय संवर्धन हेतु मैंग्रोव पहल के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी की गईं निधियाँ**
1	गुजरात	67.30
2	पश्चिम बंगाल	3.74
3	केरल	1.68
4	पुडुचेरी	1.94
5	आंध्र प्रदेश	13.08
6	ओडिशा	0.70
कुल		**88.44**

नोट: मिष्टी वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू की गई थी तथा काम्पा के अंतर्गत निधि का वितरण वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारंभ हुआ।

अनुलग्नक-IV

'कार्बन सिंक लक्ष्यों का आकलन' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए श्री महेंद्र सिंह सोलंकी और श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *205 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नगर वन योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी की गई निधियों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल जारी निधियाँ** (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.56
2	आंध्र प्रदेश	116.88
3	अरुणाचल प्रदेश	2.89
4	असम	1.70
5	बिहार	4.42
6	चंडीगढ़	0.13
7	छत्तीसगढ	14.53
8	गोवा	2.05
9	गुजरात	7.43
10	हरियाणा	4.49
11	हिमाचल प्रदेश	4.86
12	जम्मू एवं कश्मीर	15.09
13	झारखंड	23.18
14	कर्नाटक	22.15
15	केरल	12.83
16	मध्य प्रदेश	82.29
17	महाराष्ट्र	5.09
18	मणिपुर	3.53
19	मेघालय	2.43
20	मिजोरम	21.72
21	नागालैंड	28.10
22	ओडिशा	18.71
23	पंजाब	7.03
24	राजस्थान	54.62
25	सिक्किम	10.86
26	तमिलनाडु	12.23
27	तेलंगाना	33.02
28	त्रिपुरा	5.05
29	उत्तर प्रदेश	39.97
30	उत्तराखंड	3.75
31	पश्चिम बंगाल	2.77
कुल		**564.39**